

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 81/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन 2/2015-16 दिनांक 18/02/2016

अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उक्त भूमे के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन नानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्वा के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अनिल कुमार खरबन्दा पुत्र स्व0 मनोहर लाल खरबन्दा द्वारा भवन संख्या-21/39 शिव चरण लाल रोड इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दक्षिण व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/उपयोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णतः प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें अफिसेक्टर/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. निर्मित किये जाने वाले भवन की संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई विरोधी देयता/प्रतिबन्ध शरूचित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदक को करना बाध्यकारी होगा।
6. अस्तुतः मानचित्र स्टिम्प्ट मार्किंग, प्रथम एवं द्वितीय तल पर शॉप तथा तृतीय तल पर आवासीय निर्माण की अनुमति देती है। उपरान्त ही निर्माण किया जाय एवं नियमानुसार पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थल का अधिर्माण/उपयोग किया जाय।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व या अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद राधान न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरतारित किया जा सकता है।
8. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई श्लोक आरंभित करता है तो उसे पक्ष को जमान करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत नानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. नकल निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, मुष्ट भाग अथवा उसके आकार के कारण बन्द गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. नूतन निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंग्लैडन इलेक्ट्रिसिटी अक्ट 1985) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान को नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आवेदकी का नाम भी देना होगा। इसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में भ्रष्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द सन्धी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

M. Karbani

18/02/2016
(मुफ्कर श्रीवारतण)
विशेष कार्यधिकारी



बांधणी/निर्माण कार्य
 याचकाने के माते ही के सार्वजनिक
 अधिकारिता का अधीन
 आता है।

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना


सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना

सर्वोच्च न्यायालय
 कोर्ट का निर्णय अनुसार
 कार्य करना



- NOTE -
- LIME CONC IN FOUNDATION
 - FLOORING OVER R.C.C.SLAB
 - TOTAL AREA OF PLOT = 138.02 SQM
 - COVERED AREA ON STLT.F = 54.80 SQM (39.70%)
 - COVERED AREA ON F.F = 54.80 SQM (39.70%)
 - COVERED AREA OF S.F. = 54.80 SQM (39.70%)
 - COVERED AREA OF T.F. = 54.80 SQM (39.70%)
 - AREA OF MUMTY = 13.11 SQM
 - OPEN AREA ON G.F = 83.22 SQM
 - ACHIVED F.A.R = 1.19
 - PROVIDE CAR PARKING = 4.0 NOS.

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/Zonal Plan and Bhuvan Upadhi 2012

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF PART OF H.NO. 21/39 (OLD ABADI) SHIVCHARAN LAL ROAD ALLAHABAD.

OWNER -
 SRI. ANIL KUMAR KHARBANDA
 S/O. LATE MANOHAR LAL KHARBANDA

S.NO.	TYPE	SIZE
1	DL	1.5 x 2.1
2	SI	1.00 x 2.0
3	CI	0.90 x 2.0
4	CS	0.75 x 1.0
5	WI	1.50 x 1.20
6	V	7.5 x 4.5

Signature of E. D. R. Mishra
 E. D. R. Mishra
 S. En. CN
 Reg. No. 145302-2
 State Government
 P.O. Box 2000, Lucknow
 U.P. 226002

Signature of S. G. of Owner
 S. G. OF OWNER